न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस
अपील संख्या 444/2021
निर्णय दिनांक 03/1/2022
काना पुत्र स्वर्गीय श्री गंगाराम जाति मीणा, निवासी ग्राम कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नि स्वर्गीय श्री शम्भूदयाल
2. कुमारी नीतू पुत्री स्वर्गीय श्री शम्भूदयाल
3. कुमारी मनीषा पुत्री स्वर्गीय श्री शम्भूदयाल
   रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुन्दरी देवी
4. रामफूल पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण
5. जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण
6. श्रीराम पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण
7. लक्ष्मा देवी पत्नि स्वर्गीय श्री नारायण
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. सब–रजिस्ट्रार, उप पंजीयक कार्यालय आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 74/2021 उनवान श्रीमती सुन्दरी देवी व अन्य बनाम काना व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 74/2021 बउनवानी श्रीमती सुन्दरी देवी व अन्य बनाम काना व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/2252, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 930, 931, 932 एवम् 933 कुल किता 28 कुल रकबा 6.6600 हैक्टेयर ग्राम कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/10–1/10 एवं अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार है जिस आराजीयात पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 मौखिक रूप से बंटवारा कर अपने–अपने हिस्सेनुसार, काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 अपने हिस्सेनुसार अर्सेदार से ही काबिज होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जो उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिस अविभाजित आराजीयात के अपने हिस्से को प्रार्थीगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है। आराजीयात जयपुर शहर के निकट होने से भूमि की कीमतों में तेजी से बढोत्तरी हुई है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बदनियति आ गई है तथा वह आराजीयात का विधिवत बंटवारा करवाये बिना ही आराजीयात को विशिष्ट भूखण्डों के रूप में बेचने व निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण की कब्जे की खाली भूमि पर आया और बाहुबल के आधार पर अतिक्रमण कर, कब्जा करने को उतारू हो गया तथा मौके पर मिट्टी व पत्थर डलवा कर, निर्माण कार्य चालू करने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को समझाने का प्रयास किया तो अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण से झगडा करने पर उतारू हो गया एवम् धमकी दी कि आराजीयात पर निर्माण कार्य करने का ठेका दे दिया है प्रार्थीगण करना हो जो कर ले, अप्रार्थी आराजीयात पर निर्माण कार्य करके रहेगा एवम् प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल कर देगा। इस कारण अप्रार्थी को उक्त कृत्यों से रोकने के लिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, यदि अप्रार्थी को उक्त कृत्यों से नहीं रोका गया तो अप्रार्थी आराजीयात पर निर्माण कर, आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित कर सकते है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/2252, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 930, 931, 932 एवम् 933 कुल किता 28 कुल रकबा 6.6600 हैक्टेयर ग्राम कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर में प्रार्थीगण के हिस्से 1/10–1/10 की भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल न करें, कब्जा न करें, विक्रय, हस्तान्तरित न करें, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 12.08.2021 को निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये है, ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई, अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना एकतरफा पारित किया गया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता अनुसार विधि विरूद्व है। आराजीयात का पक्षकारान् के बुजुर्गो ने 40 पूर्व ही आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है एवं पक्षकारान् बंटवारा अनुसार प्राप्त आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अपीलान्ट आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख

निर्णय दिनांक 12.08.2021 खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमा का वाद पत्र विचाराधीन है जिसमें मात्र पक्षकारान् के आराजीयात में हिस्सा तय होना है, वाद पत्र से पक्षकारान् के अधिकार प्रभावित नहीं होगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित मानकर, अपीलान्ट को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। अपीलान्ट को यदि अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति थी तो अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलान्ट की अपील, विचारणीय नहीं है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा का अमूल्य समय व्यर्थ करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पारित एकपक्षीय अंतरिम आदेश के विरूद्व, यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश आगामी तारीख पेशी तक पारित किया गया था एवम् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित हो चुके है साथ ही अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है ऐसी परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जो कि आगामी तारीख पेशी तक ही पारित की गई है, के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारीख पेशी तक ही प्रभावित है, के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती। अतः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी की यह अपील, इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2021 यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 03/11/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर